Form No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

रतनाराम पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम तोलाराम वगै.

राजस्व प्रार्थना पुत्र मुकदमा नम्बर 813/2025 **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.11.2025	आज यह प्रार्थना पत्र रतनाराम ने जरिये श्री बजरंग शर्मा अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 6.4200 हैक्टेयर वाकेरोही सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में उभयपक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.12.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.12.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
10.12.2025	आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रकरण विड्रो किये जाने पर पेशी में ली गई। प्रकरण विड्रो किये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील [illegible] [illegible] से कार्य होकर [illegible] (शुभम शर्मा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:13 IST
Reason: SelfAttested